

# केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

## संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दूरभाष सं.-011-28524993, 28524995, 28520979, 28520966

## अधिसूचना की तिथि 06.03.2021

### संस्कृत शिक्षा की विकास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय सहायता हेतु अधिसूचना

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संचालित संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के उपलक्ष्य में अग्रलिखित 8 योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं: **योजनाएँ**-(1) पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों में संस्कृत अध्यापक, आधुनिक विषय के अध्यापक, सरकारी स्कूलों में संस्कृत अध्यापक हेतु वित्तीय सहायता। (2) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले संस्कृत पण्डितों को सम्मान राशि। (3) संस्कृत के संवर्धन हेतु विभिन्न शोध परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए गैर सरकारी संगठनों/मानित संस्कृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता। (4) संस्कृत की दुर्लभ पुस्तकों के पुनर्मुद्रण एवं प्रकाशन तथा संस्कृत की पुस्तकों की थोक-खरीद हेतु वित्तीय सहायता। (5) सेवानिवृत्त/ख्यातिप्राप्त साहित्यिक संस्कृत विद्वानों (शास्त्र चूड़ामणि) की सेवाओं की उपयोगिता हेतु वित्तीय सहायता। (6) पारम्परिक संस्कृत पाठशालाओं/संस्थाओं के छात्रों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन के लिए पंजीकृत शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता। (7) संस्कृत शिक्षण के मानकों के समुन्नित करने हेतु विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों सी.बी.एस.ई./एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. इत्यादि को वित्तीय सहायता। (8) संस्कृत के विकास की दस-वर्षीय भावी योजना के लिए विज्ञ एवं रोड़मैप में अनुशासित संस्कृत के सतत विकास के लिए अष्टादशी (अठारह परियोजनाओं) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता।

निर्धारित आवेदन पत्र, नियम/शर्तें तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि आदि विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.sanskrit.nic.in](http://www.sanskrit.nic.in) पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

# CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

**Established by an Act of Parliament**

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Government of India

56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058

Ph. No. 011-28524993, 28524995, 28520979, 28520966

Notification dated:- 06.03.2021

## **Notification for Financial Assistance for the year 2021-22 under Schemes for Development of Sanskrit Education**

Central Sanskrit University, Delhi, under Ministry of Education, Government of India invites applications in the prescribed proforma for Financial Assistance under the following Schemes for Development of Sanskrit Education for the year 2021-22. **Schemes** - (1) Financial Assistance for Sanskrit Teachers & Modern Subject Teachers to the Traditional Sanskrit Pathshalas/Sanskrit Mahavidyalayas and Sanskrit Teachers in Govt. Schools. (2) Financial Assistance for Samman Rashi to Eminent Sanskrit Pandits in Indigent Circumstances. (3) Financial Assistance to NGOs/Deemed Sanskrit Universities/Universities for various Research Projects and Programmes/Activities for promotion of Sanskrit. (4) Financial Assistance for Publication, Re-print of Rare Sanskrit Books & Bulk purchase of Sanskrit Books. (5) Financial Assistance for utilization of Services of Retired/Eminent Literary Sanskrit Scholars (Shastra Chudamani) (6) Financial Assistance to Registered Academic Organizations to conduct "Vocational Training Courses" for the students of Traditional Sanskrit Pathshalas/Institutions. (7) Financial Assistance to Universities/Deemed Universities/ CBSE/NCERT/SCERT etc. to improve standards of Sanskrit teaching. (8) Financial Assistance under Scheme of "Ashtaadashi" – Eighteen Projects for sustaining the growth of Sanskrit under Vision and Road Map for the Development of Sanskrit – 10 year perspective plan.

For downloading the prescribed application forms, terms & conditions and last date of submission of application etc. for all the above schemes please visit University website: - [www.sanskrit.nic.in](http://www.sanskrit.nic.in)

**Registrar**